



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26122022-241409
CG-DL-E-26122022-241409

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 793]
No. 793]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 20, 2022/अग्रहायण 29, 1944
NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 20, 2022/AGRAHAYANA 29, 1944

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

(खेल विभाग)

(राष्ट्रीय डोप रोधी एजेंसी)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 2022

सा.का.नि. 889(अ).—राष्ट्रीय डोप रोधी एजेंसी के उपनियमों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय डोप रोधी एजेंसी, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, भारत सरकार के अनुमोदन से राष्ट्रीय डोप रोधी एजेंसी में वैज्ञानिक और प्रशासनिक पदों पर भर्ती के लिए पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (क) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय डोप रोधी एजेंसी भर्ती नियम, 2022 है। (ख) ये राज पत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर- उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स के स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के कॉलम (2) से कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि- भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं और उससे संबंधित अन्य बातें उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से कॉलम (13) में विनिर्दिष्ट होंगे।
- निरर्हता: - वह व्यक्ति- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या (ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा; परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है की ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति-** जहाँ राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के सरकारी निकाय की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उनको लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
6. **व्यवर्ति-** इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

[फा. सं. 1-7/2016-खेल-V]

राज के. गुप्ता, अवर सचिव

वैज्ञानिक पद के लिए भर्ती के नियम**1. वैज्ञानिक निदेशक के पद के लिए भर्ती नियम**

क्रम सं.	विवरण	भर्ती के नियम
1	पद के नाम	वैज्ञानिक निदेशक
2	पदों की संख्या	01 (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है
3	वर्गीकरण	लागू नहीं
4	वेतनमान	वेतन मैट्रिक्स के स्तर-13 Rs. 1,23,100 – 2,15,900/-
5	चयन या अचयन पद	लागू नहीं
6	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	लागू नहीं
7	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	लागू नहीं
8	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	लागू नहीं
9	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	दो वर्षों का आमेदन
10	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेदन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि अनुबंध सहित)/आमेदन/प्रोन्नति/पुनःरोजगार (अल्पावधि के लिए अनुबंध)
11	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेदन द्वारा भर्ती की दशा में वो श्रेणियां जिनके प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेदन किया जाएगा	प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि अनुबंध सहित)/आमेदन: केंद्र/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार/ सार्वजनिक उपक्रम / स्वायत्त / सांविधिक निकाय/ विश्वविद्यालय/ मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान के अधिकारी:- (क) (i) नियमित आधार पर अनुरूप पद धारण करना या (ii) वेतन मैट्रिक्स के स्तर-12 के पद पर पांच साल की नियमित सेवा (ख) निम्नलिखित शैक्षिक योग्यता और अनुभव (i) फार्माकोलॉजी/बायोकेमिस्ट्री/ फार्मास्युटिकल साइंसेज/खेल विज्ञान में पीएचडी ,मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या कॉलेज से या संस्थान से तकनीकी प्रशासन या प्रबंधन में प्रासंगिक अनुभव के साथ।

		(ii) मान्यता प्राप्त संस्थानों से तकनीकी प्रशासन/ प्रबंधन/ अनुसंधान में 15 वर्ष का कार्य अनुभव। ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा के साथ वरिष्ठ परियोजना अधिकारी (वेतन मैट्रिक्स के स्तर-12 में)/ वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (वेतन मैट्रिक्स के स्तर-12 में) से पदोन्नति। फीडर ग्रेड में विभागीय अभ्यर्थी भी बाहरी व्यक्तियों के साथ-साथ इस पद के लिए विचार किए जाने के पात्र होंगे यदि उनका चयन हो जाता है तो और उनकी नियुक्ति पदोन्नति द्वारा समझी जाएगी। नोट 1- केंद्र सरकार के किसी अन्य संगठन/विभाग या उसी में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य पूर्व-संवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी। नोट 2- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि से 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
12	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/ महानिदेशक, नाडा- अध्यक्ष 2. मंत्रालय का एक नामिती जो सदस्य के रूप में निदेशक के पद से नीचे का न हो। 3. दो सदस्य- मान्यता प्राप्त संस्थानों/अस्पतालों से वैज्ञानिक/ डॉक्टर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी/ महानिदेशक, नाडा द्वारा नामित।
13	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा	लागू नहीं।

2. वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के पद के लिए भर्ती नियम

क्रम सं.	विवरण	भर्ती के नियम
1	पद के नाम	वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी
2	पदों की संख्या	01 (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है
3	वर्गीकरण	लागू नहीं
4	वेतनमान	वेतन मैट्रिक्स के स्तर-12 Rs. 78,800 – 2,09,200/-
5	चयन या अचयन पद	लागू नहीं
6	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	लागू नहीं
7	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	लागू नहीं
8	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	लागू नहीं
9	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	आमेलन के लिए दो वर्ष

10	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि अनुबंध सहित)/आमेलन/ प्रोन्नति/पुनःरोजगार (अल्पावधि के लिए अनुबंध)
11	प्रोन्नतियां प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वो श्रेणियां जिनके प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि अनुबंध सहित)/आमेलन: केंद्र/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार/ सार्वजनिक उपक्रम / स्वायत्त / सांविधिक निकाय/ विश्वविद्यालय/ मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान के अधिकारी:- (क) (i) नियमित आधार पर अनुरूप पद धारण करना या (ii) वेतन मैट्रिक्स के स्तर-11 के पद पर पांच वर्षों की नियमित सेवा (iii) निम्नलिखित शैक्षिक योग्यता और अनुभव (iv) एम० डी० फार्माकोलॉजी/ पी०एच०डी० फार्माकोलॉजी/ बायोकेमिस्ट्री/फार्मास्युटिकल साइंसेज/खेल विज्ञान में, मान्यता प्राप्त विद्यालय से या कॉलेज से या संस्थान से तकनीकी प्रशासन या प्रबंधन में प्रासंगिक अनुभव के साथ (v) मान्यता प्राप्त संस्थानों से तकनीकी प्रशासन/प्रबंधन/ अनुसंधान में 10 वर्ष का कार्य अनुभव। नोट 1- केंद्र सरकार के किसी अन्य संगठन/विभाग या उसी में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य पूर्व-संवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी। नोट 2- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि से 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
12	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	लागू नहीं
13	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा	लागू नहीं।

3. वैज्ञानिक अधिकारी के पद के लिए भर्ती नियम

क्रम सं.	विवरण	भर्ती के नियम
1	पद के नाम	वैज्ञानिक अधिकारी
2	पदों की संख्या	01 (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है
3	वर्गीकरण	लागू नहीं
4	वेतनमान	वेतन मैट्रिक्स के स्तर-10 Rs. 56,100 – 1,77,500/-
5	चयन या अचयन पद	लागू नहीं

6	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	लागू नहीं
7	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	लागू नहीं
8	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	लागू नहीं
9	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	लागू नहीं
10	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेसन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि अनुबंध सहित)/आमेसन/प्रोन्नति/पुनःरोजगार (अल्पावधि के लिए अनुबंध)
11	प्रोन्नतियां प्रतिनियुक्ति या आमेसन द्वारा भर्ती की दशा में वो श्रेणियां जिनके प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेसन किया जाएगा	प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि अनुबंध सहित)/आमेसन: केंद्र/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार/ सार्वजनिक उपक्रम / स्वायत्त / सांविधिक निकाय/ विश्वविद्यालय/ मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान के अधिकारी:- (क) (i) नियमित आधार पर अनुरूप पद धारण करना या (ii) वेतन मैट्रिक्स के स्तर-8 के पद पर दो (2) वर्ष की नियमित सेवा या वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 के पद पर तीन (3) वर्ष की नियमित सेवा या वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 के पद पर आठ (8) वर्ष की नियमित सेवा (ख) निम्नलिखित शैक्षिक योग्यता और अनुभव (i) मास्टर्स में प्रथम श्रेणी /एम॰फार्मा/ फार्माकोलॉजी में एम॰एस॰सी॰/बायोकेमिस्ट्री/ फार्मास्युटिकल साइंसेज/ खेल विज्ञान मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या कॉलेज से या संस्थान से तकनीकी प्रशासन या प्रबंधन में प्रासंगिक अनुभव के साथ (II) सरकारी संस्थानों में 8 वर्ष का प्रासंगिक अनुभव ग्रेड में 8 वर्ष की नियमित सेवा के साथ सहायक परियोजना अधिकारी (वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 में) से पदोन्नति फीडर ग्रेड में विभागीय अभियार्थी भी बाहरी व्यक्तियों के साथ-साथ इस पद के लिए विचार किए जाने के पात्र होंगे यदि उनका चयन हो जाता है तो और उनकी नियुक्ति पदोन्नति द्वारा समझी जाएगी। नोट 1- केंद्र सरकार के किसी अन्य संगठन/विभाग या उसी में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य पूर्व-संवर्ग पद पर प्रति नियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी। नोट 2- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि से 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

12	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/ महानिदेशक, नाडा- अध्यक्ष 2. वैज्ञानिक निदेशक या वरिष्ठ परियोजना अधिकारी/ वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी 3. मंत्रालय का एक नामिती जो सदस्य के रूप में निदेशक के पद से नीचे का न हो।
13	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा	लागू नहीं।

4. कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के पद के लिए भर्ती नियम

क्रम सं.	विवरण	भर्ती के नियम
1	पद के नाम	कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी
2	पदों की संख्या	01 (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है
3	वर्गीकरण	लागू नहीं
4	वेतनमान	वेतन मैट्रिक्स के स्तर-8 Rs. 47,600 – 1,51,100/-
5	चयन या अचयन पद	लागू नहीं
6	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	लागू नहीं
7	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	लागू नहीं
8	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	लागू नहीं
9	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	लागू नहीं
10	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेसन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि अनुबंध सहित)/आमेसन/ प्रोन्नति/पुनःरोजगार (अल्पावधि के लिए अनुबंध)
11	प्रोन्नतियां प्रतिनियुक्ति या आमेसन द्वारा भर्ती की दशा में वो श्रेणियां जिनके प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेसन किया जाएगा	प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि अनुबंध सहित)/आमेसन: केंद्र/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार/ सार्वजनिक उपक्रम /स्वायत्त / सांविधिक निकाय/ विश्वविद्यालय/ मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान के अधिकारी:- (क) (i) नियमित आधार पर अनुरूप पद धारण करना या (ii) वेतन मैट्रिक्स के स्तर-8 के पद पर दो (2) वर्ष की नियमित सेवा या वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 के पद पर दो (2) वर्ष की नियमित सेवा या वेतन मैट्रिक्स के स्तर- 6 के पद पर छः (6) वर्ष की नियमित सेवा, और (ख) निम्नलिखित शैक्षिक योग्यता और अनुभव (i) मास्टर्स में प्रथम श्रेणी/एम०फार्मा/ फार्माकोलॉजी में एम०एस०सी०/बायोकेमिस्ट्री/ फार्मास्युटिकल साइंसेज/खेल विज्ञान मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या महाविद्यालय से या संस्थान से तकनीकी प्रशासन या प्रबंधन में प्रासंगिक अनुभव के साथ, (II) सरकारी संस्थानों में 7 वर्षों का प्रासंगिक अनुभव ग्रेड में 2 वर्षों की नियमित सेवा के साथ सहायक परियोजना अधिकारी (वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 में) से

		पदोन्नति फीडर ग्रेड में विभागीय अभ्यर्थी भी बाहरी व्यक्तियों के साथ-साथ इस पद के लिए विचार किए जाने के पात्र होंगे यदि उनका चयन हो जाता है तो और उनकी नियुक्ति पदोन्नति द्वारा समझी जाएगी। नोट 1- केंद्र सरकार के किसी अन्य संगठन/विभाग या उसी में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य पूर्व-संवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः या 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी। नोट 2 प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि से 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
12	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/ महानिदेशक, नाडा- अध्यक्ष। 2. मंत्रालय का एक नामिती जो सदस्य के रूप में निदेशक के पद से नीचे का न हो। 3. वरिष्ठ परियोजना अधिकारी/वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, नाडा।
13	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा	लागू नहीं।

5. विधि अधिकारी के पद के लिए भर्ती नियम

क्रम सं.	विवरण	भर्ती के नियम
1	पद के नाम	विधि अधिकारी
2	पदों की संख्या	01 (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है
3	वर्गीकरण	लागू नहीं
4	वेतनमान	वेतन मैट्रिक्स के स्तर- 10 Rs. 56,100 – 1,77,500/-
5	चयन या अचयन पद	लागू नहीं
6	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	लागू नहीं
7	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	लागू नहीं
8	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	लागू नहीं
9	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	आमेलन के लिए दो वर्ष
10	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि अनुबंध सहित)/आमेलन/ प्रोन्नति/पुनःरोजगार (अल्पावधि के लिए अनुबंध)
11	प्रोन्नतियां प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वो श्रेणियां जिनके प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि अनुबंध सहित)/आमेलन: केंद्र/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार/ सार्वजनिक उपक्रम / स्वायत्त / सांविधिक निकाय/ विश्वविद्यालय/ मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान के अधिकारी:- (क) (i) नियमित आधार पर अनुरूप पद धारण करना या

		(ii) वेतन मैट्रिक्स के स्तर-8 के पद पर दो (2) वर्षों की नियमित सेवा या वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 के पद पर तीन (3) वर्षों की नियमित सेवा (ख) निम्नलिखित शैक्षिक योग्यता और अनुभव (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से कानून में स्नातक की डिग्री। (ii) सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र/ स्वायत्ता निकायों में कानूनी मामलों से निपटने का 8 वर्षों का अनुभव। नोट 1- केंद्र सरकार के किसी अन्य संगठन/विभाग या उसी में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य पूर्व-संवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः या 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी। नोट 2- प्रति नियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि से 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
12	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	लागू नहीं
13	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा	लागू नहीं।

6. वेब प्रबंधक के पद के लिए भर्ती नियम

क्रम सं.	विवरण	भर्ती के नियम
1	पद के नाम	वेब प्रबंधक सह सू.प्रौ. विशेषज्ञ
2	पदों की संख्या	01 (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है
3	वर्गीकरण	लागू नहीं
4	वेतनमान	वेतन मैट्रिक्स के स्तर-8 Rs. 47,600 – 1,51,100/-
5	चयन या अचयन पद	लागू नहीं
6	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	लागू नहीं
7	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	लागू नहीं
8	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	लागू नहीं
9	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	आमेलन के लिए दो वर्ष
10	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि अनुबंध सहित)/आमेलन/ प्रोन्नति/पुनःरोजगार (अल्पावधि के लिए अनुबंध)
11	प्रोन्नतियां प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वो श्रेणियां जिनके प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया	प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि अनुबंध सहित)/ आमेलन: केंद्र/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार/ सार्वजनिक उपक्रम /

	जाएगा	स्वायत्त / सांविधिक निकाय/ विश्वविद्यालय/ मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान के अधिकारी:- (क) (i) नियमित आधार पर अनुरूप पद धारण करना या (ii) वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 के पद पर दो (2) वर्षों की नियमित से वाया वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 के पद पर छह (6) वर्षों की नियमित सेवा, और (ख) निम्नलिखित शैक्षिक योग्यता और अनुभव (i) मान्यता प्राप्त सरकारी विश्वविद्यालय / महाविद्यालय / संस्थान से सूचना और संचार प्रौद्योगिकी / कंप्यूटर विज्ञान / ई सी ई में बी ई / बी टेक में प्रथम श्रेणी। (II) सरकारी संस्थानों में 05 वर्ष का प्रासंगिक अनुभव। नोट 1- केंद्र सरकार के किसी अन्य संगठन/विभाग या उसी में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य पूर्व-संवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः या 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी। नोट 2- प्रति नियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि से 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
12	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	लागू नहीं
13	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा	लागू नहीं।

7. अन्वेषक के पद के लिए भर्ती नियम

क्रम सं.	विवरण	भर्ती के नियम
1	पद के नाम	अन्वेषक
2	पदों की संख्या	01 (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है
3	वर्गीकरण	लागू नहीं
4	वेतनमान	वेतन मैट्रिक्स के स्तर- 8 Rs. 47,600 – 1,51,100/-
5	चयन या अचयन पद	लागू नहीं
6	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	लागू नहीं
7	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	लागू नहीं
8	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	लागू नहीं
9	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	आमेलन के लिए दो वर्ष
10	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि अनुबंध सहित)/आमेलन/ प्रोन्नति/पुनःरोजगार (अल्पावधि के लिए अनुबंध)

11	प्रोन्नतिया प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वो श्रेणियां जिनके प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि अनुबंध सहित)/आमेलन: केंद्र/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार/ सार्वजनिक उपक्रम / स्वायत्त / सांविधिक निकाय/ विश्वविद्यालय/ मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान के अधिकारी:- (क) (i) नियमित आधार पर अनुरूप पद धारण करना या (ii) वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 के पद पर दो (2) वर्षों की नियमित सेवा या वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 के पद पर छह (6) वर्षों की नियमित सेवा और (ख) निम्नलिखित शैक्षिक योग्यता और अनुभव (i) किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से स्नातक। (ii) पुलिस, सीबीआई, एनआईए आदि जैसे कानून प्रवर्तन / जांच एजेंसियों से 05 वर्ष का कार्य अनुभव। नोट 1- केंद्र सरकार के किसी अन्य संगठन/विभाग या उसी में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य पूर्व-संवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः या 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी। नोट 2- प्रति नियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि से 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
12	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	लागू नहीं
13	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा	लागू नहीं।

8. कार्यकारी सहायक के पद के लिए भर्ती नियम

क्रम सं.	विवरण	भर्ती के नियम
1	पद के नाम	कार्यकारी सहायक
2	पदों की संख्या	01 (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है
3	वर्गीकरण	लागू नहीं
4	वेतनमान	वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 Rs. 44,900 – 1,42,400/-
5	चयन या अचयन पद	लागू नहीं
6	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	लागू नहीं
7	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	लागू नहीं
8	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	लागू नहीं

9	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	आमेलन के लिए दो वर्ष
10	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि अनुबंध सहित)/आमेलन/ प्रोन्नति/पुनःरोजगार (अल्पावधि के लिए अनुबंध)
11	प्रोन्नतियां प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वो श्रेणियां जिनके प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि अनुबंध सहित)/आमेलन: केंद्र/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार/ सार्वजनिक उपक्रम / स्वायत्त / सांविधिक निकाय/ विश्वविद्यालय/ मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान के अधिकारी:- (क) (i) नियमित आधार पर अनुरूप पद धारण करना या (ii) वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 के पद पर पांच (5) वर्षों की नियमित सेवा और (ख) निम्नलिखित शैक्षिक योग्यता और अनुभव (i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ कॉलेज/ संस्थान से वाणिज्य विषय में स्नातक (ii) सरकारी संस्थानों में 05 वर्ष का प्रासंगिक अनुभव। नोट 1- केंद्र सरकार के किसी अन्य संगठन/विभाग या उसी में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य पूर्व-संवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः या 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी। नोट 2- प्रति नियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि से 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
12	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	लागू नहीं
13	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा	लागू नहीं।

9. निजी सहायक के पद के लिए भर्ती नियम

क्रम सं.	विवरण	भर्ती के नियम
1	पद के नाम	निजी सहायक
2	पदों की संख्या	01 (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है
3	वर्गीकरण	लागू नहीं
4	वेतनमान	वेतन मैट्रिक्स के स्तर- 6 Rs. 35,400 – 1,12,400/-
5	चयन या अचयन पद	लागू नहीं
6	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	लागू नहीं
7	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	लागू नहीं

8	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	लागू नहीं
9	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	आमेलन के लिए दो वर्ष
10	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि अनुबंध सहित)/आमेलन/प्रोन्नति/पुनःरोजगार (अल्पावधि के लिए अनुबंध)
11	प्रोन्नतियां प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वो श्रेणियां जिनके प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि अनुबंध सहित)/आमेलन: केंद्र/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार/ सार्वजनिक उपक्रम / स्वायत्त / सांविधिक निकाय/ विश्वविद्यालय/ मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान के अधिकारी:- (क) (i) नियमित आधार पर अनुरूप पद धारण करना या (ii) वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 के पद पर छह (6) वर्षों की नियमित सेवा और (ख) निम्नलिखित शैक्षिक योग्यता और अनुभव (i) किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से स्नातक। (ii) आशुलिपि में हिंदी और अंग्रेजी में 80 WPM की गति और हिंदी और अंग्रेजी के टंकण में 40 WPM का टंकण कौशल। (iii) केंद्र / राज्य सरकार में 05 वर्ष का कार्य अनुभव। नोट 1- केंद्र सरकार के किसी अन्य संगठन/विभाग या उसी में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य पूर्व-संवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः या 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी। नोट 2- प्रति नियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि से 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
12	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	लागू नहीं
13	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा	लागू नहीं।

10. प्रशासनिक सहायक के पद के लिए भर्ती नियम

क्रम सं.	विवरण	भर्ती के नियम
1	पद के नाम	प्रशासनिक सहायक
2	पदों की संख्या	01 (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है
3	वर्गीकरण	लागू नहीं

4	वेतनमान	वेतन मैट्रिक्स के स्तर- 6 Rs. 35,400 – 1,12,400/-
5	चयन या अचयन पद	लागू नहीं
6	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	लागू नहीं
7	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	लागू नहीं
8	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	लागू नहीं
9	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	आमेलन के लिए दो वर्ष
10	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि अनुबंध सहित)/आमेलन/ प्रोन्नति/पुनःरोजगार (अल्पावधि के लिए अनुबंध)
11	प्रोन्नतियां प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वो श्रेणियां जिनके प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि अनुबंध सहित)/आमेलन: केंद्र/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार/ सार्वजनिक उपक्रम / स्वायत्त / सांविधिक निकाय/ विश्वविद्यालय/ मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान के अधिकारी:- (क) (i) नियमित आधार पर अनुरूप पद धारण करना या (ii) वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 के पद पर छह (6) वर्षों की नियमित सेवा और (ख) निम्नलिखित शैक्षिक योग्यता और अनुभव (i) किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से स्नातक। (ii) केंद्र / राज्य सरकार में 05 वर्ष का कार्य अनुभव। (iii) कंप्यूटर अनुप्रयोगों में प्रवीणता नोट 1- केंद्र सरकार के किसी अन्य संगठन/विभाग या उसी में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य पूर्व-संवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी। नोट 2- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि से 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
12	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	लागू नहीं
13	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा	लागू नहीं।

11. लेखाकार के पद के लिए भर्ती नियम

क्रम सं.	विवरण	भर्ती के नियम
1	पद के नाम	लेखाकार
2	पदों की संख्या	01 (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है
3	वर्गीकरण	लागू नहीं
4	वेतनमान	वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 Rs. 35,400 – 1,12,400/-
5	चयन या अचयन पद	लागू नहीं
6	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	लागू नहीं
7	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	लागू नहीं
8	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	लागू नहीं
9	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	आमेलन के लिए दो वर्ष
10	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि अनुबंध सहित)/आमेलन/ प्रोन्नति/पुनःरोजगार (अल्पावधि के लिए अनुबंध)
11	प्रोन्नतियां प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वो श्रेणियां जिनके प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि अनुबंध सहित)/आमेलन: केंद्र/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार/ सार्वजनिक उपक्रम /स्वायत्त / सांविधिक निकाय/ विश्वविद्यालय/ मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान के अधिकारी:- (क) (i) नियमित आधार पर अनुरूप पद धारण करना या (ii) वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 के पद पर छह (6) वर्षों की नियमित सेवा और (ख) निम्नलिखित शैक्षिक योग्यता और अनुभव (i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से वाणिज्य विषय में स्नातक। (ii) केंद्र / राज्य सरकार में 05 वर्ष का कार्य अनुभव। ग्रेड में छह वर्ष की नियमित सेवा के साथ लेखा सहायक (वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 में) से पदोन्नति। (विभागीय अभ्यर्थी हेतु विचारार्थ नोट) नोट 1- केंद्र सरकार के किसी अन्य संगठन/विभाग या उसी में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य पूर्व-संवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः या 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी। नोट 2- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि से 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
12	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	लागू नहीं
13	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा	लागू नहीं।

MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS**(Department Of Sports)****(NATIONAL ANTI DOPING AGENCY)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 19th December, 2022

G.S.R. 889(E).— In exercise of the powers conferred by bye-laws of the National Anti Doping Agency, the National Anti Doping Agency hereby makes the following rules regulating the method for recruitment to the various scientific and administrative posts in the National Anti Doping Agency, with the approval of Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India, namely :-

- Short title and commencement** . – (a) These rules may be called the National Anti Doping Agency, Recruitment Rules, 2022. (b) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- Number of posts, classification, level in pay matrix.** – The number of said posts, their classification, and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule to these rules.
- Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.** – The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- Disqualification** . – No persons,- (a) who, has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any persons, shall be eligible for appointment to the said post: Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.
- Power to relax.** – Where the Governing Body of National Anti Doping Agency is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing may relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- Saving-** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Ex-servicemen and the other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

[F. No. 1-7/2016-SP.V]

RAJ K. GUPTA, Under Secy.

Recruitment Rules for Scientific Posts**1. Recruitment Rule for the post of Scientific Director**

S.N.	Particulars	Recruitment Rules
1	Name of post	Scientific Director
2	Number of post	01 (2022) *Subject to variation dependent on workload
3	Classification	Not applicable
4	Scale of Pay	Level 13 in the Pay Matrix Rs 1,23,100 – 215900/-
5	Whether Selection post or non selection post	Not Applicable
6	Age limit for direct recruits	Not Applicable
7	Educational and other Qualification required for direct recruits	Not Applicable
8	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Not Applicable
9	Period of Probation, if any	Two years for absorption
10	Method of Recruitment whether by	Deputation (including short term

	direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	contract)/Absorption/Promotion/Re-employment (for short term contract)
11	In case of recruitment by Promotion/deputation/absorption grades from which promotion/ absorption to be made	Deputation (including short term contract)/Absorption: Officers of the Central/States/UTs Government/PSUs/ Autonomous/ Statutory Bodies/Universities/Recognized Research Institutes: - (a) (i) holding analogous post on regular basis or (ii) with five (05) years regular service in the post in Level 12 of the Pay Matrix, and (b) Possessing the following Educational Qualification & Experience (i) PhD in Pharmacology/ Biochemistry/ Pharmaceutical Sciences/ Sports Sciences from recognized University /College/Institutes with relevant experience in technical administration/management from recognized University/ college/institutes. (ii) having 15 years of working experience in technical administration/ management/ research from recognized institutions. Promotion from Senior Project Officer [in Level 12 of the Pay Matrix]/Sr Scientific Officer [in Level 12 of the Pay Matrix] with five years of regular service in the grade. A departmental candidate in the feeder grade shall also be eligible to be considered for this post along with the outsiders and in case he is selected, his appointment shall be deemed to have been made by promotion. Note 1 - Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall not ordinarily not exceed 5 years. Note 2: The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.
12	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	1. Chief Executive Officer /DG, NADA - Chairman 2. One nominee of the Ministry not below the rank of Director as Member. 3. Two member - Scientist/doctor from recognized institutes/ hospitals nominated by CEO/DG, NADA
13	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment	Not applicable.

2. Recruitment Rule for the post of Sr Scientific Officer

S.N.	Particulars	Recruitment Rules
1	Name of post	Senior Scientific Officer
2	Number of post	01 (2022) *Subject to variation dependent on workload
3	Classification	Not applicable
4	Scale of Pay	Level 12 in the Pay Matrix

		Rs 78,800 – 2,09,200/-
5	Whether Selection post or non selection post	Not applicable
6	Age limit for direct recruits	Not Applicable
7	Educational and other Qualification required for direct recruits	Not Applicable
8	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Not Applicable
9	Period of Probation, if any	Two years for absorption
10	Method of Recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	Deputation (including short term)/Absorption)/Re-employment (for short term contract)
11	In case of recruitment by Promotion/deputation/absorption grades from which promotion/ absorption to be made	Deputation (including short term contract)/Absorption: Officers of the Central/States/UTs Government/PSUs/ Autonomous/ Statutory Bodies/Universities/Recognized Research Institutes: (a) (i) holding analogous post on regular basis or (ii) with five (05) years regular service in the post in Level 11 of the Pay Matrix, and (b) Possessing the following Educational Qualification & Experience (i) MD Pharmacology/PhD in Pharmacology/ Biochemistry/ Pharmaceutical Sciences/ Sports Sciences from recognized University /College/Institutes from recognized University/college/institutes. (ii) having 10 years of working experience in technical administration/ management/ research from recognized institutions. Note 1 - Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall not ordinarily not exceed 5 years. Note 2: The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.
12	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Not applicable
13	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment	Not applicable.

3. Recruitment Rule for the post of Scientific Officer

S.N.	Particulars	Recruitment Rules
1	Name of post	Scientific Officer
2	Number of post	01 (2022) *Subject to variation dependent on workload

3	Classification	Not applicable
4	Scale of Pay	Level 10 in the Pay Matrix Rs 56,100– 1,77,500/-
5	Whether Selection post or non selection post	Not applicable
6	Age limit for direct recruits	Not Applicable
7	Educational and other Qualification required for direct recruits	Not Applicable
8	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Not Applicable
9	Period of Probation, if any	Not Applicable
10	Method of Recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	Deputation (including short term contract)/Promotion/Re-employment (for short term contract)
11	In case of recruitment by Promotion/deputation/absorption grades from which promotion/ absorption to be made	Deputation (including short term contract): Officers of the Central/States/UTs Government/PSUs/ Autonomous/ Statutory Bodies/Universities/Recognized Research Institutes: - (a) (i) holding analogous post on regular basis or (ii) with two (02) years regular service in the post in Level 8 of the Pay Metrix or three (03) years regular service in the post in Level 7 of the Pay Metrix or eight (08) years regular service in the post in Level 6 of the Pay Metrix, and (b) Possessing the following Educational Qualification & Experience (i) First Class in Masters/ M.Pharm/ M.Sc. in Pharmacology/ Biochemistry/ Pharmaceutical Sciences/ Sports Sciences from recognized University /College/Institutes with relevant experience in Scientific/ technical administration/management preferably in Anti-Doping (ii) having 08 years of relevant experience in Government Institutions. Promotion from Assistant Project Officer [in Level 7 of the Pay Metrix] with eight years of regular service in the grade. A departmental candidate in the feeder grade shall also be eligible to be considered for this post along with the outsiders and in case he is selected, his appointment shall be deemed to have been made by promotion Note 1 - Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall not ordinarily not exceed 5 years. Note 2: The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.
12	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	1. Chief Executive Officer /DG, NADA - Chairman 2. Scientific Director or Sr Project Officer/Sr Scientific Officer 3. One nominee of the Ministry not below the rank of Under Secretary
13	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment	Not applicable.

4. Recruitment Rule for the post of Junior Scientific Officer

S.N.	Particulars	Recruitment Rules
1	Name of post	Junior Scientific Officer
2	Number of post	01 (2022) *Subject to variation dependent on workload
3	Classification	Not applicable
4	Scale of Pay	Level 08 in the Pay Matrix Rs 47,600– 1,51,100/-
5	Whether Selection post or non selection post	Not applicable
6	Age limit for direct recruits	Not Applicable
7	Educational and other Qualification required for direct recruits	Not Applicable
8	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Not Applicable
9	Period of Probation, if any	Not Applicable
10	Method of Recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	Deputation including short term contract)/Promotion/Re-employment (for short term contract)
11	In case of recruitment by Promotion/deputation/absorption grades from which promotion/ absorption to be made	Deputation (including short term contract): Officers of the Central/States/UTs Government/PSUs/ Autonomous/ Statutory Bodies/Universities/Recognized Research Institutes: - (a) (i) holding analogous post on regular basis or (ii) with two (02) years regular service in the post in Level 7 of the Pay Matrix or six years regular service in the post in Level 6 of the Pay Matrix , and (b) Possessing the following Educational Qualification & Experience (i) First Class in Masters/ M. Pharm/ M.Sc. in Pharmacology/ Biochemistry/ Pharmaceutical Sciences/ Sports Sciences from recognized University /College/Institutes with relevant experience in scientific research / technical administration/management (ii) having 07 years of relevant experience in Government Institutions. Promotion from Assistant Project Officer [in Level 07 of the Pay Matrix] with two years of regular service in the grade. A departmental candidate in the feeder grade shall also be eligible to be considered for this post along with the outsiders and in case he is selected, his appointment shall be deemed to have been made by promotion Note 1 - Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall not ordinarily not exceed 5

		years. Note 2: The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.
12	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	1. Chief Executive Officer /DG, NADA - Chairman 2. One nominee of the Ministry not below the rank of Under Secretary 4. Sr Project Officer/Sr Scientific Officer, NADA
13	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment	Not applicable.

5. Recruitment Rule for the post of Law Officer

S.N.	Particulars	Recruitment Rules
1	Name of post	Law Officer
2	Number of post	01 (2022) *Subject to variation dependent on workload
3	Classification	Not applicable
4	Scale of Pay	Level 10 in the Pay Matrix Rs 56,100– 1,77,500/-
5	Whether Selection post or non selection post	Not applicable
6	Age limit for direct recruits	Not Applicable
7	Educational and other Qualification required for direct recruits	Not Applicable
8	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Not Applicable
9	Period of Probation, if any	two years for absorption.
10	Method of Recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	Deputation (including short term contract)/Absorption/ Re-employment (for short term contract)
11	In case of recruitment by Promotion/deputation/absorption grades from which promotion/ absorption to be made	Deputation (including short term contract)/ Absorption: Officers of the Central/States/UTs Government/PSUs/ Autonomous/ Statutory Bodies/Universities/Recognized Research Institutes: (a) (i) holding analogous post on regular basis or (ii) with 02years regular service in the post in Level 8 of the Pay Metrix or three(03) years regular service in the post in Level 7of the Pay Metrix, and (b) Possessing the following Educational Qualification & Experience (i) Bachelor Degree in Law from a recognized University/Institution. (ii) with 08 years' experience in dealing with legal matters in Government/Public Sector/Autonomous Bodies Note 1 - Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this

		appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall not ordinarily not exceed 5 years. Note 2: The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.
12	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Not applicable
13	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment	Not applicable.

6. Recruitment Rule for the post of Web Manager

S.N.	Particulars	Recruitment Rules
1	Name of post	Web Manager cum IT Expert
2	Number of post	01 (2022) *Subject to variation dependent on workload
3	Classification	Not applicable
4	Scale of Pay	Level 08 in the Pay Matrix Rs 47,600– 1,51,100/-
5	Whether Selection post or non selection post	Not applicable
6	Age limit for direct recruits	Not Applicable
7	Educational and other Qualification required for direct recruits	Not Applicable
8	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Not Applicable
9	Period of Probation, if any	two years for absorption.
10	Method of Recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	Deputation (including short term contract)/Absorption/ Re-employment (for short term contract)
11	In case of recruitment by Promotion/deputation/absorption grades from which promotion/ absorption to be made	Deputation (including short term contract) Absorption: Officers of the Central/States/UTs Government/PSUs/ Autonomous/ Statutory Bodies/Universities/Recognized Research Institutes: (a) (i) holding analogous post on regular basis or (ii) with 02 years regular service in the post in Level 7 of the Pay Matrix or six (06) years regular service in the post in Level 6 of the Pay Matrix, and (b) Possessing the following Educational Qualification & Experience (i) First Class in BE/ B. Tech in Information and communication technology/Computer Science/ ECE from recognized government university/ college/ Institution. (ii) having 05 years of relevant experience in Government Institutions. Note 1 - Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall not ordinarily not exceed 5 years.

		Note 2: The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.
12	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Not applicable
13	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment	Not applicable.

7. Recruitment Rule for the post of Investigator

S.N.	Particulars	Recruitment Rules
1	Name of post	Investigator
2	Number of post	01 (2022) *Subject to variation dependent on workload
3	Classification	Not applicable
4	Scale of Pay	Level 08 in the Pay Matrix Rs 47,600– 1,51,100/-
5	Whether Selection post or non selection post	Not applicable
6	Age limit for direct recruits	Not Applicable
7	Educational and other Qualification required for direct recruits	Not Applicable
8	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Not Applicable
9	Period of Probation, if any	two years for absorption.
10	Method of Recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	Deputation (including short term contract)/Absorption/ Re-employment (for short term contract)
11	In case of recruitment by Promotion/deputation/absorption grades from which promotion/ absorption to be made	Deputation (including short term contract)/Absorption: Officers of the Central/States/UTs Government/PSUs/ Autonomous/ Statutory Bodies/Universities/Recognized Research Institutes: (a) (i) holding analogous post on regular basis or (ii) with 02 years regular service in the post in Level 7 of the Pay Matrix or six (06) years regular service in the post in Level 6 of the Pay Matrix, and (b) Possessing the following Educational Qualification & Experience (i) Graduate from any recognized University/institution. (ii) Having 05 working experience from the Law enforcement/ Investigation Agencies such as Police, CBI, NIA etc. Note 1 - Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall not ordinarily not exceed 5 years. Note 2: The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.
12	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Not applicable
13	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment	Not applicable.

8. Recruitment Rule for the post of Executive Assistant

S.N.	Particulars	Recruitment Rules
1	Name of post	Executive Assistant
2	Number of post	01 (2022) *Subject to variation dependent on workload
3	Classification	Not applicable
4	Scale of Pay	Level 07 in the Pay Matrix Rs 44,900– 1,42,400/-
5	Whether Selection post or non selection post	Not applicable
6	Age limit for direct recruits	Not Applicable
7	Educational and other Qualification required for direct recruits	Not Applicable
8	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Not Applicable
9	Period of Probation, if any	Two years for absorption.
10	Method of Recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	Deputation (including short term contract)/Absorption/ Re-employment (for short term contract)
11	In case of recruitment by Promotion/deputation/absorption grades from which promotion/ absorption to be made	Deputation (including short term contract)/Absorption: Officers of the Central/States/UTs Government/PSUs/ Autonomous/ Statutory Bodies/Universities/Recognized Research Institutes: (a) (i) holding analogous post on regular basis or (ii) with 05 years regular service in the post in Level 6 of the Pay Matrix, and (b) Possessing the following Educational Qualification & Experience (i) Graduate in Commerce discipline from recognized university/ college/ institution. (ii) having 05 years of relevant experience in Government Institutions. Note 1 - Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall not ordinarily not exceed 5 years. Note 2: The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.
12	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Not applicable
13	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment	Not applicable.

9. Recruitment Rule for the post of Personal Assistant

S.N.	Particulars	Recruitment Rules
1	Name of post	Personal Assistant
2	Number of post	01 (2022) *Subject to variation dependent on workload
3	Classification	Not applicable

4	Scale of Pay	Level 06 in the Pay Matrix Rs 35,400– 1,12,400/-
5	Whether Selection post or non selection post	Not applicable
6	Age limit for direct recruits	Not Applicable
7	Educational and other Qualification required for direct recruits	Not Applicable
8	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Not Applicable
9	Period of Probation, if any	Two years for absorption.
10	Method of Recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	Deputation (including short term contract)/Absorption/ Re-employment (for short term contract)
11	In case of recruitment by Promotion/deputation/absorption grades from which promotion/ absorption to be made	Deputation (including short term contract)/Absorption: Officers of the Central/States/UTs Government/PSUs/ Autonomous/ Statutory Bodies/Universities/Recognized Research Institutes: (a) (i) holding analogous post on regular basis or (ii) with 06 years regular service in the post in Level 5 of the Pay Matrix, and (b) Possessing the following Educational Qualification & Experience (i) Graduate in any discipline from recognized university/institution, (ii) typing skill having speed of 80 WPM in stenography in Hindi and English and 40 WPM in typing in Hindi and English, (iii) having 05 years' experience in the Central/State Government. Note 1 - Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall not ordinarily not exceed 5 years. Note 2: The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.
12	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Not applicable
13	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment	Not applicable..

10. Recruitment Rule for the post of Administrative Assistant

S.N.	Particulars	Recruitment Rules
1	Name of post	Administrative Assistant
2	Number of post	01 (2022) *Subject to variation dependent on workload
3	Classification	Not applicable
4	Scale of Pay	Level 06 in the Pay Matrix Rs 35,400– 1,12,400/-

5	Whether Selection post or non selection post	Not applicable
6	Age limit for direct recruits	Not Applicable
7	Educational and other Qualification required for direct recruits	Not Applicable
8	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Not Applicable
9	Period of Probation, if any	Two years for absorption.
10	Method of Recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	Deputation (including short term contract)/Absorption/ Re-employment (for short term contract)
11	In case of recruitment by Promotion/deputation/absorption grades from which promotion/ absorption to be made	Deputation (including short term contract)/Absorption: Officers of the Central/States/UTs Government/PSUs/ Autonomous/ Statutory Bodies/Universities/Recognized Research Institutes: (a) (i) holding analogous post on regular basis or (ii) with 06 years regular service in the post in Level 5 of the Pay Matrix, and (b) Possessing the following Educational Qualification & Experience (i) Graduate in any discipline from recognized university/institution, (ii) having 05 years' experience in the Central/State Government, (iii) Proficiency in Computer applications Note 1 - Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall not ordinarily not exceed 5 years. Note 2: The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.
12	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Not applicable
13	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment	Not applicable.

11. Recruitment Rule for the post of Accountant

S.N.	Particulars	Recruitment Rules
1	Name of post	Accountant
2	Number of post	01 (2022) *Subject to variation dependent on workload
3	Classification	Not applicable
4	Scale of Pay	Level 06 in the Pay Matrix Rs 35,400– 1,12,400/-

5	Whether Selection post or non selection post	Not applicable
6	Age limit for direct recruits	Not Applicable
7	Educational and other Qualification required for direct recruits	Not Applicable
8	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Not Applicable
9	Period of Probation, if any	Not applicable
10	Method of Recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	Deputation (including short term contract)/Promotion/ Re-employment (for short term contract)
11	In case of recruitment by Promotion/deputation/absorption grades from which promotion/ absorption to be made	Deputation (including short term contract): Officers of the Central/States/UTs Government/PSUs/ Autonomous/ Statutory Bodies/Universities/Recognized Research Institutes: (a) (i) holding analogous post on regular basis or (ii) with six (06) years regular service in the post in Level 5 of the Pay Metrix, and (b) Possessing the following Educational Qualification & Experience (i) Graduate in commerce discipline from recognized university/institution, (ii) having 05 years' experience in the Central/State Government Promotion from Account Assistant [in Level 5 of the Pay Metrix] with six years of regular service in the grade. (Note for consideration of departmental candidate) A departmental candidate in the feeder grade shall also be eligible to be considered for this post along with the outsiders and in case he is selected, his appointment shall be deemed to have been made by promotion Note 1 - Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall not ordinarily not exceed 5 years. Note 2: The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.
12	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Not applicable
13	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment	Not applicable